जरिये सरकार भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम प्रवेश जैन

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरणसंख्या : 125/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/139

प्रार्थी :	बनाम	अप्रार्थी :
जरिये सरकार भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली राज.		1.प्रवेश जैन पुत्र श्री प्रेमचंद जाति जैन निवासी जैन दादावाड़ी के पास नेहरु कॉलोनी फालना मैसर्स ओटोबा इण्डस्ट्रीयल एरिया 66 इण्डस्ट्रीयल एरिया फालना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011 एवं धारा 52

–:निर्णय:–

दिनांक: 06.06.2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26(2)(ii)/खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं धारा 52 के अन्तर्गत विरुद्ध अप्रार्थी दिनांक 29.05.2023 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्रावली राजस्व(ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, पाली के पत्रांक/कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान् को सूचित किया गया। नियत दिनांक 17.05.2024 को अप्रार्थी अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। यह है कि भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा दिनांक 02.02.2023 को 4.00 पी.एम. बजे मैसर्स ओटोबा इण्डस्ट्रीयल एरिया 66 इण्डस्ट्रीज एरिया फालना पर पहूंचकर निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फैक्ट्री पर पर 40–50 डिब्बों में 500 ग्राम Mix Achar (otaba's Rajasthani Mix Brand) एक कार्टून में रखा हुआ था। जिसे प्रवेश जैन आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए था। मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए फॉर्म नम्बर 5A भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु मौके पर कोई गवाह मौजुद नहीं होने पर मेरे साथ आए आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को गवाह बनाकर हस्ताक्षर करवाये व मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर इस फॉर्म की एक प्रति दुकान मालिक श्री प्रवेश जैन पुत्र श्री प्रेमचंद को देकर यह सूचित किया कि उक्त नमूना वास्ते सरकारी जांच हेतु क्रय किया गया है।

फैक्ट्री पर पर 40–50 डिब्बों में 500 ग्राम Mix Achar (otaba's Rajasthani Mix Brand) में से 500 ग्राम के कुल चार पैकेट जांच हेतु खंरीदे, जिसका नकद भुगतान अक्षरे 640/– रुपये जरिये रसीद किया गया। उक्त Mix Achar (otaba's Rajasthani Mix Brand) को चार मूल पैकेट में नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई। प्रत्येक नमूनें को अलग–अलग चार मोटे व खाकी रंग के कागज में लपेट कर लेपेटे गये कागज के दोनों सिरों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक नमूनें पर अभिहित अधिकारी एवं मु.चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त चार एक ही नम्बर की पेपरस्लीप आर–1655 प्रत्येक नमूने पर एक एक पेपल स्लीप नमूने के चारों और लगाकर चारो तरफ से नियमानुसार मजबूत एवं मोटे धागे से बांधा गया। प्रत्येक नमूने पर चार–चार उपर नीचे दाये–बायें चपड़ी

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

CamScanner

जरिये सरकार भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम प्रवेश जैन

लगाकर ब्रास सील से सील बंद किया। चारो सीलबंद नमूनों पर नमूना विवरण अंकित कर प्रति नमूनों पर मुल्जिम व गवाहों के हस्ताक्षर रेपरिंग पेपर व पेपर स्लीप क्रांस करते हुए हस्ताक्षर करवाये गये। साथ ही मौके पर ही मुल्जिम व गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार कर मौके पर ही अप्रार्थी व गवाहों को पढकर सुनाई तथा उनके द्वारा मंजुर किये जाने पर अप्रार्थी व गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर मैनें हस्ताक्षर कियें। एवं दिनांक 03.02.2023 को खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में नमूना संख्या आर–1655 जांच हेतु जमा करवाया गया।

खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा नमूना संख्या आर–1655 प्रदत्त रिपोर्ट एल. एस. 187/एक्ट/2023/228 दिनांक 15.02.2023 की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि उक्त Mix Achar (otaba's Rajasthani Mix Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नहीं है। नमूना सख्या आर–1655 Mix Achar (otaba's Rajasthani Mix Brand) अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(c)(i) Food Safety and Standards Act-2006 के तहत मिसब्रान्डेड फूड़ (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया। गैरसायल द्वारा मिसब्रान्डेड फूड़ (Misbranded Food) प्रकृति का Mix Achar (otaba's Rajasthani Mix Brand) विक्रय करके एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया हैं।

नियत दिनांक 17.05.2024 को गैर सायल अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर ने नमूना संख्या आर–1655 की रिपोर्ट एल.एस. 187/एक्ट/2023/228 दिनांक 15.02.2023 की जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूना संख्या–1655 Mix Achar (otaba's Rajasthani Mix Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नहीं है। नमूना सख्या आर–1655 Mix Achar (otaba's Rajasthani Mix Brand) अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(c)(i)Food Safety and Standards Act-2006 के तहत मिसब्रान्डेड फूड़ (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया। अप्रार्थी द्वारा मिसब्रान्डेड फूड़ (Misbranded Food) प्रकृति का Mix Achar (otaba's Rajasthani Mix Brand) विक्रय करके एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) के तहत् स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा मिसब्रान्डेड फूड़ (Misbranded Food) प्रकृति का Mix Achar (otaba's Rajasthani Mix Brand) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 25000/–अक्षरे पच्चीस हजार रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

6/6/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

बाली, जिला पाली

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

P.T.O.